पत्रांक- 6-1171 / जि0प्रो0का0 / विधवा पेंशन / आनलाइन आवेदन फार्म / 2018-19 दिनांक- 06-9-1

1. समस्त उपजिलाधिकारी.............................
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी.............................
3. समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत / नगर पालिका.............................

①

विषय:- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र को ऑन लाइन फार्म भरवाने के संबंध में।

कृपया जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या-133 / एस0टी0 / 2018-19 / दिनॉक 28 अगस्त, 2018 एवं निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0-सी-301 / निदे0म0क0 / निरा0म0पें0 / दिशा-निर्देश / 2018-19 लखनऊ दिनॉक-24 अगस्त,2018 एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय कार्यालय के पत्र सं0-135 / एस0टी0 / 2018-19 दिनॉक-05.09.2018 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र वंचित लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराये जाने एवं वेबसाइट पर डाटा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उक्त के कम में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) योजनान्तर्गत सर्वे सर्वेक्षित ऑकडों का पुनर्परीक्षण / सत्यापन तथा वास्तविक रूप से पात्र पाये गये लाभार्थियों की फीडिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। जिसका सत्यापन,फीडिंग प्रकाशन एवं अंत में एन0आई0सी0 के बेवसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एवं शहरी क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त सर्वेक्षित ऑकडों को विभागीय वेबसाइट / तथा जनपद भदोही के एन0आई0सी0 के बेवसाइट पर सूची अपलोड किया जाना है । जिसमें महिला कल्याण विभाग द्वारा 01 योजनाओं के अन्तर्गत छूटे एवं पात्र / लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु सर्वे के उपरान्त फीडिंग एंव अन्य कार्यवाही के संबंध में एजेण्डा का विवरण।

क्र0 सं0	विकास खण्ड / नगर पंचायत / नगर पालिका का नाम द्वारा प्राप्त फार्मो का विवरण	प्राप्त फार्मो का संख्या	छूटे हुये लाभार्थियों की ब्लाकवार / नगर पालिका / नगर पंचायत वार	सर्वे के उपरान्त प्राप्त फार्मो के फीडिंग की प्रगति रिपोर्ट	सर्वे के उपरान्त सर्वेक्षण ऑकडों के सत्यापन की स्थिति जो पूर्व से आनलाइन आवेदन पत्रों का विवरण	वास्तविक रूप से पात्र पाये गये लाभार्थियों की संख्या
1	भदोही	1375	1108	1108	252	856
2	औराई	923	775	775	196	579
3	डीघ	1356	762	762	229	533
4	ज्ञानपुर	795	677	677	194	483
5	सुरियावॉं	786	731	731	154	577
6	अभोली	437	287	287	73	214
7	घोसियॉं	120	120	120	15	105
8	खमहरियॉं	127	127	127	46	81
9	नई बाजार	109	109	109	49	60
10	सुरियावॉं	90	90	90	34	56
11	भदोही	140	140	140	59	81
12	ज्ञानपुर	57	57	57	16	41
13	गोपीगंज	132	132	132	41	91
	योग	6447	5115	5115	1358	3757

क्र0 सं0	कार्यक्रम का नाम	सर्वेक्षण में चिन्हित पात्र एवं छूटे हुए / वंचित लाभार्थियों की कुल सं0		
1	2	3	4	5
		ग्रामीण	शहरी	योग
1	पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन	5672	775	5115

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर अंकित विवरण क अनुसार संलग्नक प्रारूप पर सर्वे कराते हुए ग्रामवार एव लाभार्थीवार ऑकडे संकलित कर पात्र महिला लाभार्थियों के समस्त अभिलेख जैसे रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो,आयु सम्बन्धी प्रामण पत्र,आय प्रमाण पत्र,पति की मृत्युप्रमाण पत्र,आधार कार्ड,मोबाईल नम्बर,परिवार रजिस्टर नम्बर तथा बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय भदोही में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि दशा में यदि प्रमुख सचिव महिला कल्याण विभाग द्वारा या मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई भी कार्यवाही की जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। सूचना महत्वपूर्ण है।

(राजेन्द्र प्रसाद)
जिलाधिकारी
भदोही

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक महिला कल्याण उ0प्र0लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, भदोही को सूचनार्थ।
3. उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी बिन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4. जिला प्रोबेशन अधिकारी भदोही को इस आदेश के साथ प्रेषित है कि प्राप्त आवेदन फार्म को तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी को इस आदेश के साथ पत्र प्रेषित है कि एन0आई0सी0 के बेवसाइट पर सूचना अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
भदोही

(2)

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी भदोही।

योजना का नाम प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से छूटे हुए/वंचित पात्र लाभार्थियों के सर्वेक्षण कार्य की प्रगति (ग्रामीण/शहरी)

जनपद का नाम :– भदोही

दिनॉक:– 06..09.2018

क0सं0	कार्यक्रम	सर्वेक्षण में चिन्हित पात्र एवं छूटे हुए/वंचित लाभार्थियों की कुल सं0		
1	2	3	4	5
		ग्रामीण	शहरी	योग
1	पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन	5672	775	5115

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वेक्षणोंपरान्त उपरोक्तानुसार कुल 5115 लाभार्थी चिन्हित किए गए है।

06/09/18

(पंकज कुमार मिश्र)
जिला प्रोबेशन अधिकारी
भदोही।

(हरिशंकर सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
भदोही।

(राजेन्द्र प्रसाद)
जिलाधिकारी
भदोही।

कार्यालय–जिला प्रोबेशन अधिकारी भदोही।

योजना का नाम प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से छूटे हुए/वंचित पात्र लाभार्थियों के सर्वेक्षण कार्य की प्रगति (ग्रामीण/शहरी)

1	विकास खण्ड/नगर पंचायत/नगर पालिका का नाम द्वारा प्राप्त फार्मो का विवरण	प्राप्त फार्मो का संख्या	छूटे हुये लाभार्थियों की ब्लाकवार/नगर पालिका/नगर पंचायत वार	सर्वे के उपरान्त प्राप्त फार्मों के फीडिंग की प्रगति रिपोर्ट	सर्वे के उपरान्त सर्वेक्षण आँकड़ों के सत्यापन की स्थिति जो पूर्व से आनलाइन आवेदन का विवरण	वास्तविक रूप से पात्र पाये गये लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	7	8
1	भदोही	1375	1108	1108	252	856
2	औराई	923	775	775	196	579
3	डीघ	1356	762	762	229	533
4	ज्ञानपुर	795	677	677	194	483
5	सुरियावाँ	786	731	731	154	577
6	अभोली	437	287	287	73	214
7	धौषियाँ	120	120	120	15	105
8	खम्हरियाँ	127	127	127	46	81
9	नई बाजार	109	109	109	49	60
10	सुरियावाँ	90	90	90	34	56
11	भदोही	140	140	140	59	81
12	ज्ञानपुर	57	57	57	16	41
13	गोपीगंज	132	132	132	41	91
	नगर पंचायत वार योग	775	775	775	260	515
	विकास खण्ड वार योग	5672	4340	4340	1098	3242
	कुल योग	6447	5115	5115	1358	3757

26/09/12

(पंकज कुमार मिश्र)
जिला प्रोबेशन अधिकारी
भदोही।

(हरिशंकर सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
भदोही।

(राजेन्द्र प्रसाद)
जिलाधिकारी
भदोही।

ई–मेल/महत्वपूर्ण

निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–सी-3०७ /निदे०म०क०/निरा०म०पे०/दिशा निर्देश/2018–19,

लखनऊ:दिनांक:२५ अगस्त ,2018

समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र वंचित लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराये जाने एवं वेबसाइट पर डाटा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1923/60–1–2018, दिनांक 12 अगस्त 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है तथा आपको पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र वंचित लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराने हेतु एम०एस० एक्सल पर प्रारूप तैयार कर हार्ड कापी आपको भेजी गयी है।

उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन की मंशा के अनुरूप उक्त प्रारूप पर सर्वे कराते हुए ग्रामवार एवं लाभार्थीवार आंकड़े संकलित कर विभागीय वेबसाइट में जनपदवार उपलब्ध कराये गये लिंक पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–- यथोक्त।

भवदीया,
(हस्ताक्षर) 9.18
(डा० वन्दना वर्मा)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(हस्ताक्षर)
(रेवती)

5

निदेशक कोष्ठ
संख्या 864/6
दिनांक 20/08/18

19/2018/ अत्यन्त महत्वपूर्ण
संख्या–1923/60–1–2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 12 अगस्त, 2018

विषयः– पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र वंचित लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराये जाने एवं वेबसाइट पर डाटा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या– 163/38–10–2018–9/18 टीसी दिनांक 25 जुलाई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं में पात्र वंचित लाभार्थियों का निर्धारित प्रारूप पर सर्वेक्षण जनपद स्तर पर कराये जाने हेतु MS Excel पर प्रारूप तैयार कराकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र वंचित महिलाओं के सर्वेक्षण हेतु MS Excel पर प्रारूप तैयार कराकर हार्ड कापी में संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया अपने निर्देशन में उक्त प्रारूप पर सर्वे कराते हुए ग्रामवार एवं लाभार्थीवार ऑकड़े संकलित कर में विभागीय वेबसाइट में जनपदवार उपलब्ध कराये गये लिंक पर अपलोड कराने का कष्ट करें। उक्त योजना पूर्णतया ऑनलाइन है, अतएव पात्र महिला लाभार्थियों के ऑनलाइन फार्म भी भरवाने का कष्ट करें।

D.D. 20/8/18

AOWP 21/8

2291/D.D. 2-1/9

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

———2.

महिला कल्याण विभाग

पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट आकार की फोटो

(क) आवेदिका का व्यक्तिगत विवरण:-

1- जनपद का नाम : ____________

2- तहसील : ____________

3- आवेदिका का नाम : ____________

4- पति का नाम : ____________

5- मकान नं० : ____________

6- ग्राम/मुहल्ला : ____________

7- ब्लाक/तहसील : ____________

8- पिनकोड : ____________

9- मोबाइल नम्बर : ____________

10- ई-मेल आई०डी० (यदि उपलब्ध हो) : ____________

11- जाति : ____________

12- श्रेणी : ____________

13- जन्मतिथि (आयु प्रमाण पत्र- शैक्षिक अभिलेख/चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त) ____________

14- आयु (01 अप्रैल, 2018 को) : वर्ष ________ माह ________ दिन ________

15- आधार कार्ड नं० : ____________

(ख) <u>आवेदिका के बैंक का विवरण:-</u>

16-	बैंक का नाम	: ______________________
17-	शाखा का नाम	: ______________________
18-	आई0एफ0एस0 कोड	: ______________________
19-	खाता संख्या	: ______________________

(ग) <u>आय का विवरण:-</u>

20-	परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय (रूपए में)	: ______________________
21-	तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र का क्रमांक	: ______________________

(घ) <u>अन्य महत्वपूर्ण विवरण:-</u>

22-	पति की मृत्यु का दिनांक (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	: ______________________
23-	क्या आवेदिका द्वारा पुनर्विवाह किया गया है	: हाँ / नहीं

<u>घोषणा</u>

मैं घोषणा करती हूँ कि मैं केन्द्र एवं राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पेंशन संबंधी आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर रही हूँ। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्णतया सत्य हैं तथा किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर समस्त भुगतानित धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल कर लिये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

आवेदिका का नाम ______________________
आवेदिका का हस्ताक्षर/निशानी अँगूठा
दिनांक –
स्थान –

नोट :-

1- बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाना चाहिए।
2- बैंक खाते के सत्यापन हेतु बैंक पासबुक की छायाप्रति जिस पर खाता संख्या, खाताधारक का नाम व आई0एफ0एस0 कोड स्पष्ट अंकित हो, उपलब्ध करायी जायेगी।